संख्या-16/2015/723/61-2015-14/4-2010(अनु0-4)

प्रेषक,

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

विषय: बूथ लेबिल अधिकारियों को पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान की दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या :23/BLO./2013-ERS, दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर बूथ लेबिल अधिकारियों को रु0 5000/- वार्षिक पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 23/Inst/2015-ERS, दिनांक 08 जुलाई, 2015 (प्रति संलग्न) के माध्यम से, बूथ लेबिल अधिकारियों के संदर्भ में पूर्व से जारी निर्देशो के अतिरिक्त, जारी निर्देशो के अनुपालन में प्रदेश में निर्वाचक नामावली कार्य के लिए नियुक्त बूथ लेबिल अधिकारियों जिन्हें शासनादेश संख्या-245/61-2014-14/4-2010(अनु0-4) दिनांक 18-3-2014 द्वारा अनुमन्य परिश्रमिक की दर रू0 5000/- को बढ़ाकर रु0 6000/- वार्षिक तथा सुपरवाइजर को रू0 12000/- वार्षिक पारिश्रमिक/मानदेय के अतिरिक्त बूथ लेबिल अधिकारियों को पुनरीक्षण के दौरान घर-घर भ्रमण हेतु न्यूनतम रु0 1000/- की धनराशि वार्षिक दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या : 23/Inst./2015-ERS दिनांक 08 जुलाई, 2015 के माध्यम से बूथ लेबिल अधिकारियों (BLOs) के संबंध में जारी निर्देशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-1370/दस-2015, दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2015/723(1)/61-2015-14/4-2010(अनु0-4) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
8- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।